The Madhya Pradesh Karadhan Adhiniyam, 1982

Act 15 of 1982

Keyword(s):
Code, Holding, Scheduled Caste, Scheduled Tribes

Amendment appended: 17 of 2018

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १४ सन् १९८२.

मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, १९८२.

[दिनांक ३ मई १९८२ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र" (असाधारण) में दिनांक ८ मई १९८२ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

शाला भवन उपकर, ग्रामीण विकास उपकर तथा ... उपकर के उद्ग्रहण के लिये और उससे आनुषंगिक विषयों के लिये उपबंध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तैंतीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

भाग १—प्रारंभिक.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम, १९८२ है. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.

(२) इसका विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर है.

(३) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के लिये विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी.

भाग २—शाला भवन उपकर.

२. इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं.

(क) "संहिता" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ (क्रमांक २० सन् १९५९);

(ख) "शाला भवन उपकर" से अभिप्रेत है धारा ३ के अधीन उद्गृहीत शाला भवन उपकर;

(ग) "भू-धारक" से अभिप्रेत है कोई भूस्वामी, मौरूसी कृषक या सरकारी पट्टेदार;

(घ) "खाता" से अभिप्रेत है वह समस्त भूमि जो किसी भू-धारक द्वारा (ग) में विनिर्दिष्ट हैसियतों में से किसी एक हैसियत में या एक से अधिक हैसियतों में राज्य के भीतर धारण की हुई हो;

(ङ) "अनुसूचित जाति का सदस्य" से अभिप्रेत है किसी जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा किसी जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग या किसी जाति, मूलवंश या जनजाति के भीतर के समूह का, जिसे कि भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४१ के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो, सदस्य;

(च) "अनुसूचित जनजाति का सदस्य" से अभिप्रेत है किसी जनजाति, जनजाति समुदाय अथवा किसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या किसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भीतर के समूह का, जिसे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३४२ के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में उस रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो, सदस्य;

(छ) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के जो इस भाग में प्रयुक्त हुई हैं और इसमें परिभाषित नहीं की गई हैं किन्तु जो संहिता में परिभाषित की गई हैं, वे ही अर्थ होंगे जो संहिता में उनको दिये गये हैं.

३. (१) छह हेक्टर के और उससे ऊपर के प्रत्येक ऐसे खाते पर, जो किसी धारक द्वारा धारित हो, प्रत्येक राजस्व वर्ष के लिये शाला भवन उपकर प्रति हेक्टर तीन रुपये, पचहत्तर पैसे की दर से उद्गृहीत तथा संगृहीत किया जायेगा : शाला भवन उपकर का उद्ग्रहण.

परन्तु इस उपधारा का उपबन्ध, किसी ऐसे खाते के संबंध में, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा धारित हो, इस प्रकार प्रभावी होगा मानो शब्द "छह हेक्टर" के स्थान पर शब्द "दस हेक्टर" स्थापित किये गये हैं.

(२) उपधारा (१) के अधीन उद्गृहीत तथा संगृहीत शाला भवन उपकर उस भू-राजस्व या लगान या किसी अन्य उपकर या कर के अतिरिक्त होगा जो भूमि के धारक द्वारा उस खाते के संबंध में संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन देय है और भूमि के धारक द्वारा भू-राजस्व के साथ उसी रीति में देय होगा जिस रीति में कि भू-राजस्व देय होता है.

(३) संहिता के वे उपबन्ध, जो भू-राजस्व के निर्धारण, संग्रहण तथा वसूली से संबंधित हैं, जहां तक हो सकें; इस भाग के अधीन के शाला भवन उपकर के निर्धारण, संग्रहण तथा वसूली को उसी प्रकार लागू होंगे मानो वह उपकर उस खाते पर संहिता के अधीन निर्धारित भू-राजस्व हो.

४. (१) धारा ३ के अधीन के शाला भवन उपकर के आगम प्रथमतः राज्य की संचित निधि में जमा किये जायेंगे और राज्य सरकार, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ पर, विधि द्वारा सम्यक् विनियोग कर दिया जाने के पश्चात्, राज्य की संचित निधि में से उतनी रकम प्रत्याहृत कर सकेगी जो राज्य सरकार द्वारा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में उगाहे गए शाला भवन उपकर के आगमों के समतुल्य हो, और उसे प्राथमिक शाला भवन निर्माण निधि नामक एक पृथक् निधि में जमा करेगी, और उक्त निधि में जमा ऐसी रकम मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय होगी.

(२) राज्य सरकार प्रतिवर्ष निधि में अपना अभिदाय करेगी जो उपधारा (१) के अधीन निधि में जमा की गई रकम के पचास प्रतिशत के बराबर होगा.

(३) निधि में जमा रकम का उपयोग, संहिता की धारा २ के खण्ड (ध-४) में यथापरिभाषित नगरेतर क्षेत्रों में प्राथमिक शाला भवन का सन्निर्माण तथा उसे सुसज्जित करने के लिए किया जाएगा और उस प्रयोजन के लिए, किसी जिले को निधि में जमा रकम में से केवल उतनी रकम, जितनी कि उस जिले से शाला भवन उपकर के रूप में वसूल हुई हो, उस जिले के लिए राज्य सरकार के अभिदाय के पचास प्रतिशत सहित, आवंटित की जाएगी.

५. प्राथमिक शाला भवन निर्माण निधि का संधारण और परिचालन, जिसके अन्तर्गत उसमें जमा राशियों का विनिधान या पुनर्विनिधान आता है, इस भाग के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा.

भाग ३—वन विकास उपकर.

६. इस भाग में,—

(क) "वन विकास उपकर" से अभिप्रेत है धारा ७ के अधीन वन विभाग द्वारा वन-उपज के विक्रय का प्रदाय पर उद्गृहीत उपकर;

(ख) "वन विभाग" के अन्तर्गत आता है कंपनी अधिनियम, १९५६ (१९५६ का सं. १) के अधीन गठित वन विकास निगम;

(ग) अभिव्यक्ति "वन-उपज" का वही अर्थ होगा जो कि उस अभिव्यक्ति के लिए भारतीय वन अधिनियम १९२७ (१९२७ का सं. १६) की धारा २ के खण्ड (४) में दिया गया है.

विक्रय र वन पर का

७. (१) वन विभाग द्वारा वन-उपज के प्रत्येक विक्रय या प्रदाय पर वन विकास उपकर, उस कीमत के, जिस पर कि ऐसी वन-उपज बेची जाती है या उसका प्रदाय किया जाता है, एक प्रतिशत की दर से उद्गृहीत तथा संगृहीत किया जाएगा.

(२) उपधारा (१) के अधीन उद्गृहीत वन विकास उपकर किसी ऐसे कर के अतिरिक्त होगा जो वन-उपज पर तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उद्गृहणीय है.

(३) वन विभाग द्वारा बेची गई या प्रदाय की गई वन-उपज के संबंध में उपधारा (१) के अधीन देय वन विकास उपकर उस व्यक्ति द्वारा देय होगा जिसको वन-उपज बेची जाती है या जिसको उसका प्रदाय किया जाता है और उसका संग्रहण तथा वसूली वन विभाग के उस अधिकारी या पदाधिकारी द्वारा, जो ऐसे विक्रय या प्रदाय से संबंधित हो, उस समय किया जाएगा जबकि ऐसा विक्रय या प्रदाय किया जाता है.

[illegible] (१) के अधीन उद्गृहीत वन विकास उपकर के आगम प्रथमतः राज्य की संचित निधि में जमा [illegible] सरकार, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ पर, विधि द्वारा सम्यक् विनियोग कर दिया जाने के पश्चात्, [illegible] से उतनी रकम प्रत्याहृत कर सकेगी जो राज्य सरकार द्वारा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में उगाहे गए [illegible] आगमों के समतुल्य हो, और उसे वन विकास निधि नामक एक पृथक् निधि में जमा करेगी, और उक्त [illegible] रकम मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय होगी.

(२) उक्त निधि में जमा रकम का उपयोग, राज्य सरकार के विवेकानुसार, निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए [illegible] :—

(अ) सामाजिक वानिकी प्रयोजन;

(ब) वनरोपण, पुनर्वनरोपण तथा वनों का पुनरुद्धार; और

(स) वनों के विकास से संबंधित कोई अन्य प्रयोजन जिन्हें राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे.

(३) वन विकास निधि का संधारण और परिचालन इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा.

भाग ४—खनिज क्षेत्र विकास उपकर.

८. इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं.

(अ) "अनिवार्य भाटक" से अभिप्रेत है खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, १९५७ (१९५७ का सं. ६७) के अधीन देय अनिवार्य भाटक;

(ब) "भूमि" से अभिप्रेत है खनन संक्रियायें चलाने के लिए खनन पट्टा के अधीन धारित भूमि;

(स) "खनिज क्षेत्र विकास उपकर" से अभिप्रेत है खनन संक्रियायें चलाने के लिये खनन पट्टा के अधीन धारित भूमि पर धारा ९. के अधीन उद्गृहीत उपकर;

(द) "स्वामिस्व (रायल्टी)" से अभिप्रेत है खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, १९५७ (१९५७ का सं. ६७) के अधीन देय स्वामिस्व (रायल्टी) और उसके अन्तर्गत उस भूमि में से खनिज निकालने के अधिकार के लिए उक्त अधिनियम के अधीन यथास्थिति केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को किये गये या किये जाने के लिये संभाव्य कोई संदाय आते हैं;

(इ) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के, जो इस भाग में प्रयुक्त हुई हैं किन्तु परिभाषित नहीं की गई हैं तथा जो खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, १९५७ (१९५७ का सं. ६७) में परिभाषित की गई हैं, वे ही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में उनके लिये दिये गये हैं.

[९.] (१) खनन संक्रियायें चलाने के लिये खनन पट्टा के अधीन धारित भूमि पर खनिज क्षेत्र विकास उपकर, उस भूमि के भाटक मूल्य के पच्चीस प्रतिशत की दर से उद्गृहीत तथा संगृहीत किया जाएगा. खनन पट्टा के अधीन की भूमि पर खनिज क्षेत्र विकास उपकर का उद्ग्रहण.

(२) उपधारा (१) के प्रयोजन के लिए, भाटक मूल्य यथास्थिति स्वामिस्व (रायल्टी) या अनिवार्य भाटक, इनमें से जो भी अधिक हो, के बराबर होगा.

(३) खनिज क्षेत्र विकास उपकर उस व्यक्ति द्वारा देय होगा जिसे खनन पट्टा अनुदत्त किया जाता है.

(४) खनिज क्षेत्र विकास उपकर का संग्रहण ऐसे प्राधिकरणों द्वारा तथा ऐसी रीति में, जैसा कि विहित किया जाय, उन नियमों के, जो कि इस निमित्त बनाये जायें, अध्यधीन रहते हुए तथा उनके अनुसार किया जायेगा और उसका [illegible] खनिज-धारित क्षेत्रों के विकास के लिये किया जायेगा.

भाग ५—प्रकीर्ण.

१०. यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावशील करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार [illegible] को आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, दूर कर सकेगी : कठिनाई दूर करने की शक्ति.

परन्तु ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि का अवसान हो जाने के पश्चात्, नहीं किया जाएगा.

स्पष्टीकरण.—इस धारा में अभिव्यक्ति "इस अधिनियम के प्रारंभ होने" से, इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के संबंध में, अभिप्रेत है आरंभ होने की वह सुसंगत तारीख जो उस उपबंध के संबंध में धारा १ की उपधारा (३) के अधीन नियत की गई हो.

नियम बनाने की शक्ति.

१५. (१) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम पूर्व प्रकाशन के पश्चात् बना सकेगी.

(२) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम राज्य विधान सभा के पटल पर रखे जायेंगे.

भोपाल, दिनांक ६ मई १९८२

क्र. ११६९५-इक्कीस-अ (प्रा.)—भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खण्ड (३) के अनुसरण में मध्यप्रदेश करारोपण अधिनियम, १९८२ (क्रमांक १५ सन् १९८२) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ज. म. खर, विशेष सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. [illegible] of 1982

THE MADHYA PRADESH KARADHAN ADHINIYAM, 1982

TABLE OF CONTENTS

Sections :

PART I—PRELIMINARY

1. Short title, extent and commencement.

PART II—SCHOOL BUILDING CESS

2. Definitions.
3. Levy of School Building cess.
4. Constitution of primary school buildings construction fund.
5. Maintenance and operation of fund.

PART III—FOREST DEVELOPMENT CESS

6. Definitions.
7. Levy of forest development cess on sale or supply of forest produce.

PART IV—MINERAL AREAS DEVELOPMENT CESS

8. Definitions.
9. Levy of mineral areas development cess on land under mining lease.

PART V—MISCELLANEOUS

10. Power to remove difficulty.
11. Power to make rules.

MADHYA PRADESH ACT

No. 15 of 1982

THE MADHYA PRADESH KARADHAN ADHINIYAM, 1982.

[Received the assent of Governor on the 3rd May, 1982; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette" (Extra-ordinary), dated the 6th May, 1982.]

An Act to provide for levy of school building cess, forest development cess and mineral areas development cess and matters incidental thereto.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Thirty-third Year of the Republic of India as follows:—

PART I—PRELIMINARY

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Karadhan Adhiniyam, 1982.

(2) It extends to the whole of the State of Madhya Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint and different dates may be appointed for different provisions of this Act.

PART II—SCHOOL BUILDING CESS

Definitions.

2. In this part, unless the context otherwise requires,—

(a) "Code" means the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959);

(b) "school building cess" means the school building cess levied under section;

(c) "holder of land" means a tenure holder, occupancy tenant or a Government lessee;

(d) "holding" means all land held by a holder in the State in any one or more than one of the capacities specified in clause (c);

(e) "member of a Schedule Caste" means a member of any caste, race or tribe or part of a group within a caste, race or tribe specified as Scheduled Caste with respect to the State of Madhya Pradesh under article 341 of the Constitution of India;

(f) "member of Schedule Tribes" means a member of any tribe, tribal community or part of or group within a tribe or tribal community specified as such with respect to the State of Madhya Pradesh under article 342 of the Constitution of India;

(g) words and expressions used in this part and not defined herein but defined in the Code shall have the meaning assigned to them in the Code.

Levy of school building cess.

3. (1) There shall be levied and collected for every revenue year school building cess on every holding of six hectares and above held by a holder at the rate of three rupees and seventy five paise per hectare:

Provided that the provision of this sub-section shall, in respect of a holding held by a member of Scheduled Castes or Scheduled Tribes shall, have effect as if for the words "six hectares", the words "ten hectares" were substituted.

(2) The school building cess levied and collected under sub-section (1) shall be in addition to land revenue or rent or any other cess or tax payable by the holder of the land in respect of the holding under the Code or any other enactment for the time being in force and shall be payable by the holder of the land in the same manner as, and alongwith, land revenue.

(3) The provisions of the Code relating to assessment, collection and recovery of land revenue shall, so far as may be, apply to the assessment, collection and recovery of school building cess under this part as if the cess were land revenue assessed on the holding under the Code.

Constitution of Primary School Buildings construction Fund.

4. (1) The proceeds of the school building cess under section 3 shall first be credited to the Consolidated Fund of the State and the State Government may, at the commencement of each financial year, after due appropriation has been made by law, withdraw from the Consolidated Fund of the State an amount equivalent to the proceeds of the school building cess realised by the State Government in the preceding financial year and shall place it to the credit of a separate fund to be called the Primary School Buildings Construction Fund and such credit to the said fund shall be an expenditure charged on the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh.

(2) The State Government shall every year make its contribution to the fund equal to fifty per cent. of the amount credited to the fund under sub-section (1).

(3) The amount in the credit of the fund shall be utilised for construction and furnishing of Primary School building in non-urban areas as defined in clause (2-z) of section 2 of the Code and for that purpose only so much amount in the credit of the fund shall be allotted to a district as is recovered by way of school building cess from that district together with fifty per cent. of the contribution of the State Government for that district.

Maintenance and operation of Fund.

5. The maintenance and operation of the Primary School Buildings Construction Fund, including the investment or re-investment of sums in its credit, shall be in accordance with the rules made under this Part.

PART III—FOREST DEVELOPMENT CESS

Definitions.

6. In this Part,—

(a) "forest development cess" means cess levied on sale or supply of forest produce by the Forest Department under section 7;

(b) "Forest Department" includes the Forest Development Corporation constituted under the Companies Act, 1956 (No. 1 of 1956);

(c) the expression "forest produce" shall have the meaning assigned to that expression in clause (4) of section 2 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927);

Levy of forest development on sale or supply of forest produce.

7. (1) There shall be levie and collected a forest development cess on every sale or supply of forest produce by the Forest Department at the rate of one per cent. of the price at which such forest produce is sold or supplied.

(2) The forest development cess levied under sub-section (1) shall be in addition to any tax leviable on forest produce under any other law for the time being in force.

(3) The forest development cess payable under sub-section (1) in respect of forest produce sold or supplied by the Forest Department shall be payable by the person to whom the forest produce is sold or supplied and shall be collected by and recovered by the officer or official of the Forest Department concerned with such sale or supply at the time of such sale or supply.

(4) The proceeds of the forest development cess levied under sub-section (1) shall first be credited to the Consolidated Fund of the State and the State Government may, at the commencement of each financial year after due appropriation has been made by law, withdraw from the Consolidated Fund of the State an amount equivalent to the proceeds of the forest development cess realised by the State Government in the preceeding financial year and shall place it to the credit of a separate fund to be called the Forest Development Fund and such credit to the said fund shall be an expenditure charged on the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh.

(5) The amount in the credit of the fund shall, at the discretion of the State Government, be utilised for—

(a) social forestry purposes;

(b) afforestation, re-forestation and rehabilitation of forest; and

(c) any other purposes connected with the development of forests, as the State Government may, by notification, specify.

(6) The maintenance and operation of the Forest Development Fund shall be in accordance with the rules made in this behalf.

PART IV—MINERAL AREAS DEVELOPMENT CESS

Definitions 8. In this part, unless the context otherwise requires,—

(a) "dead rent" means the dead rent payable under the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (No. 67 of 1957);

(b) "land" means land held under a mining lease for undertaking mining operations;

(c) "mineral areas development cess" means cess levied under section 9 on land held under a mining lease for undertaking of mining operations;

(d) "royalty" means the royalty payable under the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (No. 67 of 1957) and includes any payments made or likely to be made to the Central Government or the State Government as the case may be for the right of raising minerals from the land under the said Act;

(e) words and expressions used but not defined in this part and defined in the Mines and Minerals (Regulation ...

9. (1) There shall be levied and collected on the land held under a mining lease for undertaking mining operation a mineral areas development cess at the rate of twenty five percentum of the rental value thereof. Levy of mineral areas development cess on land under mining lease.

(2) For the purpose of sub-section (1) rental value shall be equal to the royalty or dead rent as the case may be, whichever is higher.

(3) The mineral areas development cess shall be payable by the person to whom the mining lease is granted.

(4) The mineral areas development cess shall, subject to and in accordance with the rules made in this behalf, be collected by such agencies and in such manner as may be prescribed and shall be applied towards development of mineral bearing areas.

PART V—MISCELLANEOUS

10. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order not inconsistent with the provisions of this Act, remove the difficulty: Power to remove difficulty.

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of one year from the date of commencement of this Act.

Explanation.—In this section the expression "commencement of this Act" means with relation to any provision of this Act, the relevant date of commencement, appointed under sub-section (3) of section 1, in relation to that provision.

11. (1) The State Government may, after previous publication, make rules to carry out the purposes of this Act. Power to make rules.

(2) All rules made under this Act shall be laid on the table of the State Legislative Assembly.

नियंत्रक, मुद्रक तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश, द्वारा शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—1983

इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 388] भोपाल, बुधवार, दिनांक 11 जुलाई 2018—आषाढ़ 20, शक 1940

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 11 जुलाई, 2018

क्र. 11399-232-21-अ(प्रा.) अधि.-2018.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 9 जुलाई, 2018 को राज्यपाल महोदया की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १७ सन् २०१८

मध्यप्रदेश कराधान (संशोधन) अधिनियम, २०१८

[दिनांक 9 जुलाई, 2018 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक 11 जुलाई, 2018 को प्रथम बार प्रकाशित की गई].

मध्यप्रदेश कराधान अधिनियम, १९८२ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश कराधान (संशोधन) अधिनियम, २०१८ है.

(२) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

भाग तीन का निरसन.

२. मध्यप्रदेश कराधान अधिनियम, १९८२ (क्रमांक १५ सन् १९८२) में, धारा ६ तथा ७ को अंतर्विष्ट करने वाले भाग-तीन "वन विकास उपकर" को निरसित किया जाए.

व्यावृत्ति.

३. उपर्युक्त भाग के निरसन पर, पूर्व में ही की गई या भुगती गई किसी बात की विधिमान्यता, अविधिमान्यता, प्रभाव या परिणाम पर या पूर्व में ही अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व पर या उसके संबंध में किसी उपचार या कार्यवाही पर या किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावे या मांग पर या उससे किसी निर्मुक्ति, या उन्मोचन पर, या पूर्व में ही अनुदत्त किसी क्षतिपूर्ति पर या भूतकाल में किए गए किसी कार्य या बात के सबूत पर प्रभाव नहीं डालेगा.

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.

४. (१) इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उद्भूत होती है, तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध बना सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, जो कठिनाई को दूर करने के लिये आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो:

परंतु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से दो वर्ष की कालावधि का अवसान होने के पश्चात् नहीं किया जाएगा.

(२) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश इसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र विधान सभा के पटल पर रखा जाएगा.

निरसन तथा व्यावृत्ति.

५. (१) मध्यप्रदेश कराधान (संशोधन) अध्यादेश, २०१८ (क्रमांक ९ सन् २०१८) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

भोपाल, दिनांक 11 जुलाई, 2018

क्र. 11399-232-21-अ (प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2018 (क्रमांक 17 सन् 2018) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

NO. 17 OF 2018

THE MADHYA PRADESH KARADHAN (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2018

[Received the assent of the Governor on the 9th July, 2018; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 11th July, 2018].

A Bill further to amend the Madhya Pradesh Karadhan Adhiniyam, 1982.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-ninth year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Karadhan (Sanshodhan) Adhiniyam, 2018.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

Repeal of Part III.

2. In the Madhya Pradesh Karadhan Adhiniyam, 1982 (No. 15 of 1982), Part III "Forest Development Cess" containing sections 6 and 7 shall be repealed

Saving.

3. The repeal of the aforesaid part shall not affect the validity, invalidity, effect or consequences of anything already done or suffered, or any right, title, obligation or liability already acquired accrued or incurred, or any remedy or proceeding in respect thereof, or any release or discharge of or from any debt, penalty, obligation, liability, claim or demand, or any indemnity already granted, or the proof of any past act or thing.

Power to remove difficulties.

4. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before the State Legislative Assembly.

Repeal and saving.

5. (1) The Madhya Pradesh Karadhan (Sanshodhan) Adhyadesh, 2018 (No. 9 of 2018) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of this Act.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल में मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.